

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक 02 जून, 2020

सं०- मं०मं०स०-05 / वि०स०सत्र-38 / 2020 710 / माननीय राज्यपाल महोदया, झारखण्ड, का दिनांक 27 मई, 2020 का निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण के सूचनार्थ इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, झारखण्ड की राज्यपाल, एतद् द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2020 को विधान सभा की बैठक की समाप्ति के पश्चात् झारखण्ड विधान सभा का सत्रावसान करती हूँ।"

रांची

दिनांक- 27 मई, 2020.

ज्ञाप सं०- मं०मं०स०-05 / वि०स०सत्र-38 / 2020 710 / रांची, दिनांक 02 जून, 2020 ई।

प्रतिलिपि: राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मंत्री, संसदीय कार्य विभाग के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव, झारखण्ड, रांची/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सरकार के सभी सचिव/सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय/ सभी विभागाध्यक्ष/ निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची/ गृह मंत्रालय, पॉलिटिकल (एक) शाखा, भारत सरकार, नयी दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(द्रौपदी मुर्मू)

झारखण्ड के राज्यपाल

(राजीव रंजन) 06.06.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञाप सं०- मं०मं०स०-05 / वि०स०सत्र-38 / 2020 710 / रांची, दिनांक 02 जून, 2020 ई।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, रांची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

(राजीव रंजन) 06.06.2020

सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड सरकार,
मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग
(संसदीय कार्य)

अ धि सू च ना

रांची, दिनांक 02 जून, 2020.

सं०- मं०मं०सं०-05 / वि०सं०सत्र-38 / 2020 711 / अधिसूचना संख्या- 710 / दिनांक 02 जून, 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड के राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

Government of Jharkhand
Cabinet Sectt. & Vigilance Department
(Parliamentary Affairs)

NOTIFICATION

सं०- मं०मं०सं०-05 / वि०सं०सत्र-38 / 2020 _____ / The following order dated 27th May, 2020 of the Governor of Jharkhand is hereby published for general information :

"In exercise of the powers under sub-clause (a) of clause (2) of Article 174 of the Constitution of India, I, Droupadi Murmu, Governor of Jharkhand, hereby prorogue the Jharkhand Legislative Assembly, after completion of the business of the house, on 23rd March, 2020."

Sd/-

Ranchi

Dated- 27.05.2020.

(Droupadi Murmu)

Governor of Jharkhand

सं०- मं०मं०सं०-05 / वि०सं०सत्र-38 / 2020 711 / Ranchi, Dated. 02 June, 2020.

Copy forwarded to Principal Secretary to Governor of Jharkhand/ Principal Secretary to Chief Minister, Jharkhand/Pvt. Secretary to Minister, Parliamentary Affairs/ Chief Secretary, Jharkhand/ All Addl. Chief Secretary/ All Principal Secretary to the Govt./ All Secretary to the Govt./ Secretary, Jharkhand Legislative Assembly/ Director, Public Relation Department/ Ministry of Home Affairs, GOI, (Political 1 (a)(Sec), New Delhi for information and necessary action/ Superintendent, Govt. Press, Doranda, Ranchi for Publication in the extra ordinary Gazetteer.

(Rajiv Ranjan)

Joint Secretary to Govt.